न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्याः 148/2014 एल.आर. एक्ट

1 अवतारसिह पुत्र श्री सोनासिह जाति रायसिंख निवासी केरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर जरिये मुख्त्यार बबलूसिह पुत्र श्री अवतारसिह जाति रायसिंख निवासी 3 बी ढाणी पक्की तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

अपीलान्ट्

बनाम

1 जंगीरसिह पुत्र स्व. श्री अवतारसिह जाति रायसिंख निवासी दुलपुरा केरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितः 1. श्री सुरेश कुमार मोहता – अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री विजय कुमार पारीक -- रेस्पोडेंट नं. 1
3. श्री सुभाष सहू – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 06-01-2020**

1. यह अपील भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 25-10-2013 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसील घड़साना के पटवार हल्का 2 एमजीएमबी के ग्राम 4 एमजीएम की पत्थर नं. 56/22 मे मुरब्बा नंबर 57 की 25 बीधा अ.क. कृषि भूमि के बारे मे दिनांक 11.9.1975 को आंवटन अधिकारी के समक्ष आवटन हेतु आवेदन पत्र दिया गया। उक्त भूमि का आवटन आदेश दिनांक 3.7.1981 को अवतारसिह पुत्र श्री सोनासिह जाति रायसिख के पक्ष मे जारी हुआ। समय पर किश्ते न भर पाने के कारण रिज्यूम हो गया। वर्ष 2012 मे उक्त रकबा की बहाली हेतु अवतारसिंह की ओर से आवेदन पेश करने पर उप जिला कलक्टर घड़साना द्वारा अवतारसिंह के नाम सनद रकबा

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

25 बीधा बाबत दिनांक 10.1.2013 को जारी की गई। तत्पश्चात नामान्तरण संख्या 236 दिनांक 30.1.2013 के द्वारा अपीलार्थी अवतारसिह बतौर खातेदार स्वीकृत हुआ। जंगीरसिह ने अवतारसिह का दिनांक 5.1.2008 को पंचकोशी अबोहर जिला फाजिल्का मे मौत होना बताकर तथा स्वय को अवतारसिह का वारिस होना बताकर इंतकाल संख्या 238 दिनांक दिनांक 11.2.2013 को अपने हक में दर्ज करवा लिया। उक्त आदेश को अपने पुनरावलोकन आदेश दिनांक 6.3.2013 द्वारा नायब तहसीलदार घड़साना ने निरस्त कर दिया। उक्त पुनरावलोकन आदेश के विरूद्व जंगीरसिह ने अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ मे अपील पेश की। अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ ने अपने निर्णय दिनांक 25.10.2013 द्वारा अपील स्वीकार कर तहसीलदार घड़साना को इस निर्देश के साथ प्रकरण रिमाण्ड किया की वह नये सिरे से सही आवंटी की जांच कर नियमानुसार नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही करे। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलार्थी ने यह अपील जरिये मुख्यतारआम बबलूसिंह के माध्यम से इस न्यायालय मे प्रस्तुत की है।

3. उक्त आदेश के विरूद्व यह अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

4. अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दिनांक 5.11.19 को अन्तर्गत आदेश 41 रूल्स 27 सपठित धारा 151 सीपीसी प्ररतुत कर अपीलार्थी अवतारसिंह के जीवित होने संबंध दस्तावेजों को रिकार्ड पर लेने बाबत निवेदन किया। जिस पर रेस्पोडेंट नं. 1 के अभिभाषक ने लिखित में एतराज एवं आरआरडी 1994 पृष्ठ 703 न्यायिक दृष्टांत पेश कर निवेदन किया है कि अवतारसिंह अपीलांट फर्जी व्यक्ति है, असली अवतारसिंह की मृत्यु हो चुकी है, जिसके संबंध में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। यह अपील अति.कलक्टर, सुरतगढ के रिमाण्ड आदेश के विरूद्व की गई है, रेस्पोडेंट नं. 1 जांच नहीं होने दे रहे है। सभी बिन्दुओं पर जांच होनी है। दस्तावेजात अपील के साथ पेश किये जाने चाहिये थे। हमने अभिभाषक अपीलांट के आदेश 41 रूल्स 27 सपठित धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र एवं रेस्पोडेंट नं. 1 के एतराज किये गये बहस प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांट को अपीलांट के संबंध में जो भी

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

दस्तावेजात पेश करने है वह रिमाण्ड में तहसीलदार, घड़साना के समक्ष पेश करने चाहिऐ, ताकि सही आवंटी की जांच हो सके। अतः अपीलांट का आदेश 41 रूल्स 27 सपठित धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र दिनांक 5.11.19 निरस्त किया जाता है तथा इन्तकाल संख्या 238 की प्रमाणित प्रति पेश किये जाने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 5.11.19 स्वीकार किया जाता है।

5. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट् के विद्वान अभिभाषक ने अपील मिमो मे अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए बहस के दौरान कंहा कि तहसील घड़साना के पटवार हल्का 2 एमजीएमबी के ग्राम 4 एमजीएम की पत्थर नं. 56/22 मे मुरब्बा नंबर 57 की 25 बीधा अ.क. कृषि भूमि के बारे मे दिनांक 11.9.1975 को आंवटन अधिकारी के संमक्ष आवटन हेतु आवेदन पत्र दिया गया। उक्त भूमि का आवंटन आदेश दिनांक 3.7.1981 को अवतारसिह पुत्र श्री सोनासिह जाति रायसिख के पक्ष मे जारी हुआ। समय पर किश्ते न भर पाने के कारण रिज्यूम हो गया। वर्ष 2012 मे उक्त रकबा की बहाली हेतु अवतासिंह की ओर से आवेदन पेश करने पर उप जिला कलक्टर घड़साना द्वारा अवतारसिंह के नाम सनद रकबा 25 बीधा बाबत दिनांक 10.1.2013 को जारी की गई। तत्पश्चात नामान्तरण संख्या 236 दिनांक 30.1.2013 के द्वारा अपीलार्थी अवतारसिह बतौर खातेदार स्वीकृत हुआ। इस वादग्रस्त जमीन पर अपीलान्ट अवतारसिह का कब्जा काश्त है समस्त रिकार्ड भी अवतारसिह के नाम दर्ज है रकबा बहाली की समस्त कार्यवाही अपीलान्ट अवतारसिह के द्वारा की गई है, तमाम राशी अपीलान्ट अवतारसिह द्वारा जमा करवाई गई है। जंगीरसिह ने अवतारसिह का दिनांक 5.1.2008 को पंचकोशी अबोहर जिला फाजिल्का मे मौत होना बताकर तथा स्वय को अवतारसिह का वारिस होना बताकर इंतकाल संख्या 238 दिनांक दिनांक 11.2.2013 को अपने हक में दर्ज करवा लिया। जबकी अपीलान्ट अवतारसिह आज भी जीवित मौजूद है। प्रत्यार्थी अवतारसिह को 5.1.08 में मरना बता रहा है, तो फिर रकबा बहाली की कार्यवाही तथा राशी जमा की कार्यवाही एवं सनद जारी करने की कार्यवाही वर्ष 2010 से 2013 के मध्य हुई है, रेस्पोडेन्ट जंगीरसिह के द्वारा जो एफआईआर पुलिस थाना घड़साना मे दर्ज करवाई गई उसमे पुलिस थाना घड़साना

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

द्वारा झूठा मानकर एफ आर लगाई है। वर्ष 1975 के आवंटन की कार्यवाही के समय आवेदन पत्र मे अवतारसिह के वारिसो के जो नाम दर्ज है उसमे पूर्णसिह ,धनवीराम,पुत्रगण तथा समित्रा पुत्री के रूप मे दर्ज है, जंगीरसिह वगैरह के नाम दर्ज ही नही है। इससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट जंगीरसिह वगैरह आवंटनधारी श्री अवतारसिह के वारिस नही है। बल्कि या तो फर्जी अवतारसिह के आधार पर कार्यवाही कर रहे है अथवा एक नाम होने का फायदा उठा कर फर्जी तरीके से कार्यवाही कर रहे है। पटवारी की रिर्पोट मे अवतारसिह को हल चलाते हुवे पाया गया तो वह मर कैसे गया। इस प्रकार अपीलान्ट अवतारसिह के जीवित होने के बावजूद उसे मृतक बताकर उसके फर्जी वारिस बन कर विरासतन इन्तकाल की कार्यवाही की गई है। जो एनइनिशियो वॉयड है अतः अपील स्वीकार कर इन्तकाल संख्या 238 दिनांक 11.2.2013 तथा पुनरावलोकन आदेश दिनांक 6.3.2013 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ का निर्णय दिनांक 25.10.2013 को निरस्त किया जावे। तथा इन्तकाल संख्या 236 दिनांक 30.1.2013 जो अपीलान्ट को खातेदार स्वीकृत किया गया है जिसमे अपीलान्ट का नाम इन्तकाल में दर्ज करने का आदेश प्रदान करे।

6. रेस्पोडेंट नं. 1 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए कहा कि अपीलान्ट अवतारसिह फौत हो चुका है उसको मरे हुए कई वर्ष हो चुके है। अभिभाषक अपीलान्ट का यह कहना गलत है कि अवतारसिह जिन्दा है। यह अपील बबलू पुत्र अवतारसिह मुखत्यारआम के द्वारा पेश की गई है। वह कोई अन्य अवतारसिह के पुत्र है। अवतार सिह की मृत्यु पश्चात् विरासतन इन्तकाल दिनांक 11.2.2013 को दर्ज हुआ इस आदेश के खिलाफ रिव्यू पेश किया गया। रिव्यू किसी स्टेन्जर के द्वारा पेश किया गया था। रिव्यू करने वाले प्रोसेडिग मे पक्षकार नही थे ना ही किसी को नोटिस जारी किये गये। रिव्यू द्वारा इन्तकाल निरस्त कर दिया गया जिसके खिलाफ रेस्पोडेन्ट ने अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ मे अपील पेश की जिसे दिनांक 25.10.2013 को रिमाण्ड कर यह निर्देश दिये गये कि अवतार सिह जिन्दा है या फौत है उनके वारिस कौन–कौन है सभी बिन्दुओ की जांच करे। उक्त आदेश के विरूद्ध जांच होने से पूर्व ही अपीलान्ट ने

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

इस न्यायालय मे अपील पेश कर दी। जिसकी आवश्यकता ही नही थी। अपीलान्ट का यह कथन करना की अवतारसिह जिन्दा है, अगर वह जिन्दा है तो अदालत में पेश करे। अपीलान्ट का यह कहना है कि खातेदारी सनद् बाद मे बनी है, खातेदारी अलोटी के मृत्यु के बाद भी जारी हो सकती है। रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक ने आगे बहस करते हुऐ कंहा कि अपीलान्ट ने अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ के निर्णय दिनांक 25.10.2013 एवं रिव्यू आदेश दिनाक 6.3.2013 के विरूद्व पेश की है। रिमाण्ड आदेश के विरूद्व द्वितीय अपील मेन्टेनेबल नही है। रिमाण्ड आदेश अन्तिम आदेश नही है। आपकी अपील अनकम्पलीट है डिफेक्टिव है रेवेन्यू कोर्टस मेनुवल के प्रावधान स्पष्ट है। रेवेन्यु कोर्टस मेनुवल पार्ट II के रूल 30 मेनेडेटरी है। अतः अपीलांट की अपील अनकम्पलीट होने से एवं तथ्यो पर भी चलने योग्य नही होने से खारिज फरमाई जावे । रेस्पोडेंट नं. 1 के विद्वान अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में RRT 2013 पृष्ठ 1235 हाईकोर्ट, RRD 1982 पृष्ठ 33, RRD 1985 पृष्ठ 307, RRD 1980 पृष्ठ 228, लारजर बैच, RRD 1994 पृष्ठ 703, RRD 1985 पृष्ठ 115 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

7. राजकीय अभिभाषक ने बहस कर कहा कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.10.2013 सही है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

8. हमने विद्वान अभिभाषकगणों की बहस पर मनन किया। उपलब्ध दस्तावेजात, पत्रावलियों एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ध्यानपूर्वक अध्यन किया। न्यायालय का निर्णय इस प्रकार है :–

   1. इस अपील में मुख्य विवाद अपीलान्ट अवतारसिह के जिन्दा होने या मृत होने के संबध में है। अभिभाषक अपीलान्ट का मुख्य कथन है कि अवतारसिह जिन्दा है। वादग्रस्त जमीन पर अवतारसिह का कब्जा काश्त है, तथा रिकार्ड भी अवतारसिह के नाम दर्ज है तमाम राशी अपीलान्ट अवतारसिह द्वारा जमा करवाई गई है।
   2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अभिभाषक का मुख्य कथन है कि अपीलान्ट अवतारसिह मर चुका है तथा उसको मरे हुए कई वर्ष हो चुके है। यह अपील बबलू पुत्र अवतारसिह मुखत्यारआम के द्वारा पेश की गई

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

है। जो कोई अन्य अवतारसिह के पुत्र है। इसके अलावा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अभिभाषक ने अपील के साथ इन्तकाल संख्या 238 दिनांक 11.02.2013 एवं पुनरावलोकन आदेश दिनांक 6.3.2013 की प्रमाणित प्रति पेश नही करने पर भी अपीलान्ट की अपील अनकम्पलीट होने का कथन किया है।

3. न्यायालय के अनुसार अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ के निर्णय दिनांक 25–10–2013 की प्रमाणित प्रति तो पेश की है परन्तु इन्तकाल संख्या 238 दिनांक 11.02.2013 एवं पुनरावलोकन आदेश दिनांक 6.3.2013 की प्रमाणित प्रति अपील के साथ पेश नहीं कर काफी देरी से दिनांक 5.11.19 को पेश की गई है। जहां तक अपीलान्ट अवतारसिह के मृत होने या जिन्दा होने का प्रश्न है यह गहन जांच का विषय है। प्रस्तुत अपील में भी अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ के आदेश दिनांक 25.10.2013 में भी नये सिरे से सही आवंटी की जांच कर नियमानुसार नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही करने का आदेश दिया जाना अर्न्तवलित है व इसी उदेश्य व मन्तव्य से तहसीलदार घड़साना को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मामला प्रतिपेषित किया गया था। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ के आदेश दिनांक 25.10.2013 को हम उचित मानते है । इसके साथ तहसीलदार घड़साना को हम यह भी निर्देश देते है कि अपीलान्ट अवतारसिह के जिन्दा या मृत होने की जांच कर नये सिरे से सही आवंटी की जांच कर विधि सम्मत नामान्तरकरण की कार्यवाही करे।

उपरोक्त विवेचना अनुसार अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है।

तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 06–01–2020 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर।